



7¹⁰/₂₅

अधिवक्ता अपीलोर द्वारा प्राथमिक
प्रस्तुत कर पत्रावली पेशी पर लेने
हेतु निवेदन किया जिसपर आज
पत्रावली पेशी पर ली गई। अपीलोर
उ अधिवक्ता उपास्थिते) हेतु। सं.


। मय अधिवक्ता उपास्थिते।
अधिवक्ता अपीलोर द्वारा विद्वां
प्राथमिक - एउ प्रस्तुत कर दस्तखत


अपील आगे नहीं चलाने की निवेदन
व्यासिद्धयत है। अपीलोर की यह
अपील जरिये "विद्वां" स्वरिष
की जाती है। पत्रावली के लक्ष
शुमार लेकर नम्बर से कम हो
एव साखिल दफतर हो।


जिला कलक्टर
बाडमेर


(लाभराम अपीलोर सं. 1)


अ. नं. श्रीनारायण


अ. नं. श्रीनारायण


(सुनील मेघनाथ)
अधि. उतसारा)

